

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 510 /गोपनीय/2017
II-2-25/93 (Pt.-4)

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2017


प्रतिलिपि :- उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय
भोपाल के अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-4/2013/29-2, दिनांक 23.03.2017 की प्रति :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को इस रजिस्ट्री के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 426, 428/गोपनीय/2017, दिनांक 08.03.2017 एवं अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 481/गोपनीय/2017, दिनांक 21.03.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल को उनके विभाग के अधिसूचना क्रमांक 5-4/2013/29-2, दिनांक 23.03.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।


3. 1. श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे, विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A) Act, होशंगाबाद
2. श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
3. श्री ब्रह्म शंकर दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जतारा, जिला टीकमगढ़
4. श्री श्याम बिहारी वर्मा, दशम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन
5. श्री योगेश दत्त (शुक्ला), प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर
6. श्री महेश कुमार शर्मा, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर
7. श्री अमनीश कुमार वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2, इंदौर
8. श्री अनिल भाटिया, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया अपनी पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे की वे अपनी नवीन पदस्थापना पर दिनांक 03-04-2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद / जबलपुर / टीकमगढ़ / उज्जैन / छतरपुर / सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक 03-04-2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मैदा मिल, भोपाल को इस रजिस्ट्री के अर्धशासकीय पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 427, 429/गोपनीय/2017, दिनांक 08.03.2017 एवं पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 482/गोपनीय/2017, दिनांक 21.03.2017 के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक 03-04-2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. कार्यालय अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी / जबलपुर / शिवपुरी / ग्वालियर / रीवा / इंदौर / रतलाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


23/3/17

7. जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1 जजेस ऐनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इंदौर-452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकार्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0)को सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. सदस्य सचिव / उप सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (Judicial) / (Vigilance) / (I. L. R. & Examination) उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
12. प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक आकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary) / (District Establishment) / (Inspection & Litigation) / (Judicial-I) / (Judicial-II) / Vigilance / Registrar-cum-Secretary M.P., High Court Legal Services Committee, Jabalpur / (Administration) / (E) / लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी / ज्वाईंट रजिस्ट्रार (Protocol) / डिप्टी रजिस्ट्रार (Judicial-I) / (Judicial-II), उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
14. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को सूचनार्थ अग्रेषित ।
15. डिप्टी रजिस्ट्रार-सह-रजिस्ट्रार जनरल की निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
16. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
17. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
18. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
19. अनुभाग अधिकारी पेन्शन/ बजट / सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।


 (मनोहर ममतानी)
 रजिस्ट्रार जनरल
 20/3/17

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना



मोपाल, दिनांक : 23 मार्च 2017

क्रमांक एफ 5-4/2013/29-2 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनकी सेवाएं माननीय उच्च न्यायालय के पत्र पृ. क. 427/confdl./2017/दो-2-25/93 (भाग-4) दिनांक 08.03.2017, 429/confdl./2017/दो-2-25/93(भाग-4) दिनांक 08.03.2017 द्वारा अनुशसित एवं 481/confdl./2017/दो-2-25/93 (भाग-4) दिनांक 21.03.2017 द्वारा संशोधित कर इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा दिनांक 10.03.2017 एवं 21.03.2017 के संदर्भ में अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

क्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थान
1.	श्री रामेश्वर गंगाराम कोटे, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी ए) एक्ट, होशंगाबाद	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, कटनी
2.	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर न्यायाधीश, जबलपुर	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर क्रमांक-2
3.	ब्रह्म शंकर दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश, जतारा, जिला टीकमगढ़	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी
4.	श्री श्याम विहारी वर्मा, दशम अपर न्यायाधीश, उज्जैन	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर
5.	श्री यागेश दत्त (शुक्ला), प्रथम अपर न्यायाधीश, छतरपुर	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा
6.	श्री महेश कुमार शर्मा, सप्तम अपर न्यायाधीश, सागर	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इन्दौर क्रमांक-2

साथ ही माननीय उच्च न्यायालय की अनुशंसा से निम्नलिखित अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षगण को उनके नाम के समक्ष दर्शित जिला उपभोक्ता फोरम में स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	पदस्थापना स्थान
1.	श्री अमनीश कुमार वर्मा, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम इन्दौर क्रमांक-2	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इन्दौर-क्रमांक-1
2.	श्री अनिल भाटिया, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रतलाम


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(बी.के. चन्देल)
23/3/2017

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

23 MAR 2017
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
DR. C. Combell




-2-

पु. क्रमांक एफ 5-4/2013/29-2
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक : 23 मार्च 2017

1. सचिव, भारत सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
3. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निज सचिव, माग. मंत्रीजी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
5. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल (म.प्र.)।
6. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल (म.प्र.)।
7. संभागीय आयुक्त, जबलपुर, रीवा ग्वालियर, उज्जैन तथा इन्दौर संभाग (म.प्र.)।
8. कलेक्टर, कटनी, जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, रीवा, इन्दौर तथा रतलाम, (म.प्र.)।
9. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, कटनी, जबलपुर क्र-2, शिवपुरी, ग्वालियर, रीवा, इन्दौर क्र-2, इन्दौर क्र-1, तथा रतलाम।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही (मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन) हेतु प्रेषित।


23/3/2017
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग